



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1941 (श10)
(सं0 पटना 968) पटना, बुधवार, 21 अगस्त 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 अगस्त 2019

एस०ओ० 353, दिनांक 21 अगस्त 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इसके पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 164 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 213, दिनांक 08 मई, 2019, जिसे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में संख्या 599 दिनांक 08 मई, 2019 के द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा:

उक्त अधिसूचना में "21 अगस्त, 2019" शब्द और अंक के स्थान पर, "21 नवंबर 2019" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अगस्त, 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017 (खंड-5) 2482)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

21 अगस्त 2019

एस०ओ० 353, दिनांक 21 अगस्त 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी०एस०टी०/विधि-21/2017 (खंड-5) 2482)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 21st August 2019

S.O. 353, dated 21st August 2019 In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Commercial Taxes Department S.O. No. 213, dated the 08th May, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 599, dated the 08th May, 2019 namely:—

In the said notification, for the figures, letters and words “21st day of August, 2019” the figures, letters and word “21st day of November, 2019” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th August, 2019.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017 (Part-5) 2482)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 968-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>